"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2011—श्रावण 14, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-01/2010/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर लाल झंवर, तत्कालीन न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर वर्तमान में सेवानिवृत्त को दिनांक 13-06-2011 से 16-06-2011 तक (04 दिन) के पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 11 एवं 12 जून, 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्रमांक 1009/455/30/सं./2011.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ जिला गजेटियर लेखन तथा प्रकाशन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति के बैठकों का सुचारू संचालन, गजेटियर के निर्माण की प्रगति आदि पर निगरानी हेतु जारी आदेश क्रमांक 756/455/30/सं./2011, दिनांक 16-06-2011 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार अध्यक्ष/सदस्य सचिव नामांकित किया जाता है :—

क्रमांक	**नाम**	
1.	श्री एस. के. मिश्रा, पूर्व मुख्य सचिव,	अध्यक्ष
2.	श्री सुब्रत साहू, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग.	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तपेशचन्द्र गुप्ता, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2011

क्रमांक 2051/2383/2011/10-1/वन.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड हेतु बुक ऑफ फाइनेन्सियल पावर-95 के सेक्सन-1 की धारा 5 के अनुसार उप वनसंरक्षक छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड को कोषालय संहिता नियम 131 एवं 506 के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. अनंत, सचिव.

वाणिज्यिकर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्रमांक एफ-10/28/2011/वाक/पांच (40).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग

को कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक दिनांक 31-01-2011 के प्रभाव से कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

अनुसूची

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	कर से छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की गई है (4)
1.	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की अनुसूची-दो एवं तीन में वर्णित माल.	सम्पूर्ण कर	जब माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत किसी ऐसे व्यवसायी द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 38(1)(चार) में वर्णित प्रावधान के लिए किया जावे, जो विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत गठित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में स्थित हो अथवा ऐसे विकासकर्त्ता द्वारा जिसे विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (10) के तहत अनुमति पत्र प्राप्त है.
2.	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की अनुसूची-दो एवं तीन में वर्णित माल.	सम्पूर्ण कर	जब माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किया जाये और उसका विक्रय विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत गठित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में स्थित व्यवसायी अथवा ऐसे विकासकर्त्ता, जिसे विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (10) के तहत अनुमति पत्र प्राप्त है, को संलग्न घोषणा पत्र के प्रारूप पर किया जावे.

घोषणा-पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक.............दिनांक.................के अधीन)

मैं ....टिन क्रमांक..........................जिसका व्यवसाय स्थल...........................पर स्थित है, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे वर्णित माल की खरीदी मे. ....छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र क्रमांक...........................से मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 38(1)(चार) में वर्णित प्रावधान के लिए/विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के विकास, संधारण एवं प्रचलन के लिए की गई है. यह कि मेरा व्यवसाय विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र.............................में स्थित है/मैं विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र........................का विकासकर्त्ता हूं.

क्रय आदेश/बिल/बीजक/केशमेमो/चालान की विशिष्टियॉं क्रमांक एवं दिनांक (1)	माल का विवरण (2)	मात्रा (3)	मूल्य रु. पै. (4)

कुल कीमत (अंको में)...............................:(शब्दों में).. रुपये मात्र.

स्थान...

दिनांक...

....

हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्रमांक एफ-10/28/2011/वाक/पांच (40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2011/वाक/पांच (40), दिनांक 12-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 12th July

No. F-10/28/2011/CT/V (40).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of entry tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule with effect from 31-01-2011.

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Entent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Goods specified in Schedule-II and III appended to the Entry Tax Act.	Whole of entry tax	When entered into a local area by a dealer situated in Special Economic Zone (SEZ) registered under Chha-Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 as per Special Economic Zone Act, 2005, for the purpose mentioned in section 38(1)(iv) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and/or a developer who holds letter of approval under sub-section (10) of section 3 of Special Economic Zone Act, 2005.
2.	Goods specified in Schedule-II and III appended to the Entry Tax Act.	Whole of entry tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and sold to a dealer situated in Special Economic Zone (SEZ) constituted as per Special Economic Zone Act, 2005 and/or a developer who holds letter of approval under sub-section (10) of section 3 of Special Economic Zone Act, 2005 against a declaration in the apppended Form.

DECLARATION

(Under CTD Notification No. ....dated..............................)

I..(Name of the Dealer) TIN No. ....whose place of business Is located within..................................SEZ..............................hereby declare that the goods, particulars of which are given below, have puchased by me from Shri..(Name of the dealer) holding registration certification No. ....Under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for consumption and use by me for the purpose mentioned in section 38(1)(iv) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for development, operation and maintenance of SEZ.

Particulars of puchase order/bill/ invoice/cash memo/challan No. and date	Description of goods purchased	Quantit	Value Rs. P.
(1)	(2)	(3)	(4)

Total Value (in figures) Rs. ....(In words) Rs. ....only

Place................................
Date................................

....
Signature

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 8-8/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई के बॉयलर क्रमांक (एम.पी./3521) को दिनांक 25-06-2011 से 24-08-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

नियमावली के परिशिष्ट-एक में प्रविष्टि 119 के पश्चात् निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित किया जाता है :—

अनुक्रमांक-120-ओजोनेटर
अनुक्रमांक-121-इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावी माने जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 13 जुलाई 2011

क्रमांक/3959/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	इच्छापुर	10.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन उत्तर बस्तर कांकेर.	नहर नाली निर्माण योजना..

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक 04/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	गोढ़ी प. ह. नं. 9	2.83	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	गोढ़ी जलाशय दायीं एवं बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक 05/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	किरारी प. ह. नं. 19	1.16	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	गोढ़ी जलाशय बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्रमांक/क/01/भू-अर्जन/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	केशकाल	धनोरा प.ह.नं. 03	1.213	पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर, बस्तर जिला.	ग्राम धनोरा में पुलिस थाना परिसर एवं परेड ग्राउण्ड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल अथवा पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 7 जुलाई 2011

क्रमांक/3794/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-कोदागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.67 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1072	0.10
	1070	0.06
	1073	0.03
	1077	0.75
	1116	0.07
	1117	0.03
	1118	0.22
	1121	0.10
	1122/1	0.07
	1128/3	0.04
	1060	0.22
	1057	0.03
	1058	0.07
	1059	0.01
	1056	0.07
	1055	0.15
	1045	0.23
	1043	0.05
	866	0.02
	870	0.02
	859	0.05
	863	0.15
	868	0.08
	865	0.03
	864	0.02
योग	25	2.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कोदागांव तालाब नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 7 जुलाई 2011

क्रमांक/3797/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
160	0.50
163	0.07
164	0.13
162/2	0.12
162/4	0.03
162/3	0.14
161	0.25

	(1)	(2)
	85	0.02
	84	0.12
	87/2	0.15
योग	10	1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बीरनपुर तालाब निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 7 जुलाई 2011

क्रमांक/3800/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवडोंगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.45 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	447/1	0.07
	449/2	0.07
	447/2	0.06
	449/1	0.05
	448/1	0.10
	450	0.15
	458	0.03
	459/1	0.16
	459/2	0.08
	459/3	0.12
	724/2	0.13
	730	0.16
	726	0.04
	727	0.08
	728	0.03
	346	0.12
योग	16	1.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 7 जुलाई 2011

क्रमांक/3803/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बुदेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
725/3	0.15
726	0.18
39/2	0.20
34	0.05
138	0.28
8/23	0.12

(1)	(2)
8/4	0.07
11	0.06
725/1	0.07
711	0.06
40/1	0.09
717	0.02
39/1	0.02
4/2	0.04
10	0.13
4/1	0.15
725/2	0.16
718/1	0.07
796	0.27
715	0.03
8/3	0.04
8/1	0.07
9	0.04
योग	2.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 04 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-धनौरा, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	56/2	0.150
योग	1	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अर्जन का पूरक प्रस्ताव.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 05 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-खोलवा, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.025

(1)	(2)
240/5	0.135
1/3	0.138
3/2	0.048
22/2	0.101
23	0.089
27/3	0.012
30	0.041
54	0.093
55/1	0.036
58/4	0.041
262/2	0.033
263	0.058
267/1	0.132
94/15	0.041
94	0.041
योग 16	1.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली दुल्लापुर वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 06 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कटोरी, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.195 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
38/2	0.021
42/2	0.028
45	0.028
56/2	0.040
68/4	0.027
72	0.051
योग 6	0.195

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 07 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रीतराई, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.174 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
194	0.138
202/4	0.008

	(1)	(2)
	217/4	0.028
योग	3	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली नूनछापर वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 08 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भादूटोला, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	154/4	0.100
योग	1	0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 09 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पवनतरा, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.200 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	116	0.200
योग	1	0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 11 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-स. लोहारा

(ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुरी, प. ह. नं. 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.197 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/3	0.116
18/9	0.032
4/2	0.112
18/1	0.243
9/1	0.121
18/2	0.004
18/4	0.024
9/6	0.021
18/6	0.012
9/4	0.004
9/5	0.053
18/5	0.008
32/2	0.076
10	0.108
11/1, 11/2	0.097
12/1	0.121
18/3	0.025
33	0.116
18/12	0.056
32/3	0.035
28	0.085
27/1	0.003
27/2	0.023
26/1	0.028
23	0.011
26/2	0.089
341/1	0.053
430	0.024
438/2	0.008
437	0.036
18/8	0.061
18/9	0.263
18/14	0.040
18/15	0.089
योग 35	2.197

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली अमलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 12 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-स. लोहारा

(ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 57

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.239 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
219/2	0.194
220/4	0.045
योग 2	0.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 13 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	27/1	0.036
योग	1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत आने वाली वितरक नहर निर्माण हेतु पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 15 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.554 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	31/3	0.194
	604/1	0.263
	663/1	0.097
योग	3	0.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहगांव जलाशय अंतर्गत बायीं तट एवं दायीं तट नहर में अर्जन में पूरक प्रस्ताव.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 जून 2011

रा.प्र.क्र. 19 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पिपरिया, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85	0.080
योग 1	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिपरिया झिरना मार्ग पर सकरी नदी के पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण में अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 जून 2011

रा.प्र.क्र. 11 अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
(ख) तहसील-पण्डरिया
(ग) नगर/ग्राम-पाण्डातराई, प. ह. नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.821 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1052	0.085
1049/1	0.036
1049/2	0.053
1048	0.061
1047/10	0.004
1047/8	0.036
1047/9	0.004
1050/11	0.028
1212/1	0.113
1219/1-2	0.045
781	0.065
1125/2	0.121
1178/3	0.089
785/4	0.081
योग 14	0.821

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र. 7-अ 82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
(ख) तहसील-पण्डरिया
(ग) नगर/ग्राम-सनकपाट, प. ह. नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.757 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.142
21/4	0.259
21/8	0.356
योग 3	0.757

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड़ जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र. 8-अ 82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-भोयटोला, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.275 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	39/1	0.405
	46	0.526
	40/1 ख	0.405
	43/3	1.057
	50/2, 51	0.615
	41/1	0.490
	56/1	0.032
	41/2	0.490
	56/2	0.028
	41/3	0.490
	56/3	0.028
	43/1	0.615
	171/2, 172	0.445
	43/2	0.838
	55/2, 57	0.405
	124	1.215
	164/2	0.810
	160/1	0.405
	160/2	0.810
	160/3	0.526
	163	0.587
	164/1	0.810
	171/1	1.620
	173/2	0.810
	177/1	1.028
	177/5	2.429
	177/2	1.449
	177/6	0.607
	177/7	1.215
	177/8	0.810
	175/3	0.275
योग	31	22.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड़ जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक 02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरबा, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.343 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1144/1 ञ/2	0.121
1144/1 ठ/1	0.040

	(1)	(2)
	1116/03	0.182
योग	3	0.343

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायीं तट नहर तटबंध में बोल्डर पीचिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्रमांक 18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-पामगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-बारगांव, प. ह. नं. 13
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1675	0.125
योग	1	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भंवतरा उप शाखा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5263/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-राजनांदगांव
 (ख) तहसील-छुरिया
 (ग) नगर/ग्राम-करमरी, प. ह. नं. 37
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	226/2	0.097
योग	1	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतनभाट करमरी मार्ग पर मोतीनाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5292/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पिनकापार, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.748 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	323	0.566
	302/5	0.162
	302/7	0.020
योग	3	0.748

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मासूलजोब जलाशय के नहर निर्माण में अर्जित भूमि का पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5293/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-घुपसाल, प. ह. नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.878 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11/3	0.202
	11/1	0.405
	74/2	0.101
	5/7	0.170
योग	4	0.878

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुमर्रा-छुरिया व्यपवर्तन के डुबान क्षेत्र में अर्जित हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5294/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बुद्धूभरदा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	278/1	0.16
	278/3	0.24
	278/4	0.16
	278/5	0.16
योग	4	0.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केसला एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5295/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-डोंगरगांव
  (ग) नगर/ग्राम-केसला, प. ह. नं. 21
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	575	0.25
	576/1	0.21
योग	2	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केसला एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5296/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-डोंगरगांव
  (ग) नगर/ग्राम-आलीखूंटा, प. ह. नं. 21
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	387	0.08
	388	0.05
	389	0.10
	390/1	0.23
	390/2	0.23
	390/3	0.23
	396	0.12
योग	7	1.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आलीखूंटा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5297/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-डोंगरगांव
  (ग) नगर/ग्राम-आलीखूंटा, प. ह. नं. 03
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97/1	0.032
106/4	0.049
98/2	0.008
74/1	0.012
योग 4	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5298/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभांठा, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.991 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86/5	0.162
86/4	0.161
356/26	0.175
330/3	0.304
145/4	0.048
86/2	0.141
योग 6	0.991

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5299/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मचानपार, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.776 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
607/5.	0.210
81/4	0.097
84/2	0.089
82	0.283
78	0.012
80/2	0.061
81/1	0.024
योग 7	0.776

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक/5300/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पठानढोड़गी, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.251 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	332	0.048
	327/3	0.114
	304/3	0.089
योग	3	0.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि का पूर[illegible] प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमाक/5301/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-थैलीटोला, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.716 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	42/2/4	0.170
	42/2/7	0.097
	181/4	0.121
	192/2/2	0.158
	183/3/2	0.097
	254/2	0.053
	265/2	0.020
योग	7	0.716

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए [illegible]यकता है-घुमरियानाला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर नि[illegible] हेतु अर्जित भूमि का पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरी[illegible] अनु.वभागीय अ[illegible]कारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय [illegible] किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ. ग.)

बेमेतरा निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2011

क्रमांक 4192/व.भू.उ./न.ग्रा.नि./2011.—दुर्ग, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बेमेतरा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के

अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय बेमेतरा, प्रदर्शनी स्थल कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, बेमेतरा एवं कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय दुर्ग में दिनांक 2 जुलाई 2011 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. बेमेतरा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

बेमेतरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : पिकरी, बेमेतरा तथा मोहभट्टा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : मोहभट्टा तथा कोबिया ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : सिंघोरी तथा कोबिया ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : पिकरी तथा सिंघोरी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्रों के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

Notice of Publication of Existing Land Use Map of Bemetara Planning Area

Durg, the 23rd June 2011

No. 4192/E.L.U./T & CP/2011.—Durg. Notice is hereby given that of existing land use map for Bemetara Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from 2nd July 2011 during office hours in the office of the C.M.O. Nagar Palika Bemetara, SDM (Revenue) Bemetara and Joint Director Nagar Tatha Gram Nivesh. Distt. Office Durg. The Limit of the Bemetara Planning Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Bemetara Planning Area

NORTH : Village Pikri, Bemetara and Mohbhatta upto North boundry.

EAST : Village Mohbhatta and Kobiya upto East boundry.

SOUTH : Village Singhori and Kobiya upto South boundry.

WEST : Village Pikari and Singhori upto West boundry

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning, Raipur Chhattisgarh within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director Nagar Tatha Gram Nivesh, Raipur Chhattisgarh.

एम. के. गुप्ता
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th July 2011

No. 395/Confdl./2011/II-2-1/2011.—Shri Rajnish Shrivastava, III Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur is transferred and posted as I Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 19th July 2011

No. 405/Confdl./2011/II-3-2/2002.—The following Civil Judges Class-II, who were appointed on probation for 2 years and who have completed their period of probation, are hereby confirmed in the Lower Judicial Service from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Ku. Nidhi Sharma	27-10-2009
2.	Smt. Mamta Shukla	27-10-2009
3.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.)	27-10-2009
4.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan	27-10-2009
5.	Shri Pankaj Sharma	27-10-2009
6.	Shri Deepak Kumar Gupta	27-10-2009
7.	Shri Sunil Kumar Nande	27-10-2009
8.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur	27-10-2009
9.	Smt. Mamta Patel	27-10-2009
10.	Shri Ajay Singh Rajput	27-10-2009
11.	Smt. Himanshu Jain	27-10-2009
12.	Shri Anish Dubey	27-10-2009
13.	Shri Shahabuddin Qureshi	27-10-2009
14.	Shri Rakesh Kumar Verma	27-10-2009
15.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.)	27-10-2009
16.	Shri Ashish Pathak	27-10-2009
17.	Smt. Kiran Rathi	27-10-2009
18.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi	27-10-2009
19.	Smt. Neeru Singh	27-10-2009
20.	Shri Atul Kumar Shrivastava	27-10-2009
21.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel	27-10-2009
22.	Shri Anand Prakash Wariyal	27-10-2009
23.	Shri Siddharth Aggarwal	27-10-2009
24.	Shri Chandra Kumar Kashyap	27-10-2009
25.	Shri Shrikant Shrivas	27-10-2009
26.	Shri Vivek Kumar Verma	27-10-2009
27.	Shri Vijay Kumar Sahu	27-10-2009
28.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi	27-10-2009
29.	Smt. Pooja Jaiswal	27-10-2009
30.	Shri Madhusudhan Chandrakar	27-10-2009
31.	Smt. Pratibha Verma	27-10-2009
32.	Shri Kamlesh Jagdalla	27-10-2009
33.	Shri Venseslas Toppo	27-10-2009
34.	Shri Prabhakar Gwal	27-10-2009
35.	Shri Kiran Kumar Jangade	27-10-2009
36.	Shri Mukesh Kumar Patre	27-10-2009
37.	Shri Shyam Sunder Kashyap	27-10-2009

(1)	(2)	(3)
38.	Smt. Sarita Das	27-10-2009
39.	Smt. Yogita Vinay Wasnik	27-10-2009
40.	Shri Pramod Singh Paraste	27-10-2009
41.	Ku. Sanjaya Ratrey	27-10-2009
42.	Shri Jitendra Kumar Thakur	27-10-2009
43.	Shri Jagdish Ram	27-10-2009
44.	Shri Anil Kumar Bara	27-10-2009
45.	Ku. Mohani Kanwar	27-10-2009
46.	Shri Avinash Tiwari	07-07-2011
47.	Shri Prashant Kumar Shivhare	07-07-2011
48.	Shri Aditya Joshi	07-07-2011
49.	Smt. Pallavi Tiwari	07-07-2011
50.	Smt. Urmila Gupta	07-07-2011
51.	Shri Balaram Sahu	07-07-2011
52.	Shri Dilesh Kumar Yadav	07-07-2011
53.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan	07-07-2011
54.	Shri Leeladharsai Yadaw	07-07-2011
55.	Shri Rakesh Kumar Som	07-07-2011
56.	Shri Kamlesh Kumar Jurri	07-07-2011

Note :— The relative seniority of the above mentioned Civil Judge Class-II shall be in the order in which their name appear in the above table.

By order of the High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 15th July 2011

No. 382/L.G./2011/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 04 days from 18-07-2011 to 21-07-2011 and permission to prefix holidays of 16th & 17th July, 2011 (3rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 284 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court.
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2011

क्रमांक 62/दो-2-9/2005.— श्रीमति अनीता झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-06-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.